

FROM No. -III

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा

बंशीलाल पिता मांगू दत्तक पिता छोगा धोबी
निवासी सरेरी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार
हुरड़ा

किस्म मुकदमा- वाद-पत्र अन्तर्गत धारा - 88 रा.टी.ए.

प्रकरण संख्या- 195/2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
11.5.2018	<p>बाद जांच वाद पत्र प्रस्तुत हुआ जो दर्ज रजिस्टर किया जावे प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाकर मिलस दिनांक 28.05.2018 को अटल सेवा केन्द्र सरेरी पेश करे।</p> <p>सहायक कलक्टर (SDO) गुलाबपुरा</p> <p>28/5/18</p> <p>पत्रावली जाज को अदालत के माफ कोर्ट सरेरी पर पेश हुई। नकीलम करी, नदी के कोर्ट, पेशकार राज उपस्थित हुये। पेशकार राज आता जबाब सटवारी की बिले न कोर्ट पर पेश हुये। वया, जो वाकिल पत्रावली उपस्थित के सहायक जज में अंतिम तरह पर अपील सहायक जज को करने के उपस्थित की तरह हुये वही। कोर्ट तरह पर अपील किया। पत्रावली पर अपील पत्रावली का अध्ययन किया। अनुसार वाका</p>	<p>बंशीलाल</p>

बाकी स्वीकार किया जा रहा है
 निम्नलिखित प्रयुक्त वे
 लिखना गया, जो शामिल
 मजदूरी 20/21/22 सुभाष
 प्रो. 20/21/22 सुभाष
 दफ्तर में। निम्नलिखित
 दिनांक 20/21/22 को सुभाष
 प्रो. 20/21/22 के सुभाष
 प्रयुक्त।



सहायक कलेक्टर
 (S. D. O.) गुलावपुरा
 जिला-मीलवाड़ा



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official